


मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितंबर, 2017

आदेश

क्रमांक एफ 9-12/2017/नियम/चार, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को अनुमति तथा अनुबंध करने हेतु संचालक, पेंशन को अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनिरुद्ध मुखर्जी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

क्र. क्रमांक एफ 9-12/2017/नियम/चार

भोपाल, दिनांक सितंबर, 2017

प्रतिलिपि

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म.प्र. ग्वालियर,
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश,
3. आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल
की ओर सूचनार्थ।


(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग